FORM NO. 03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

राजस्थान गाँवों के संग अभियान 2021

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

संस्था प्रधान रा० मा० वि० खुंटिया — अनवान — तहसीलदार रायपुर

बनाम

किस्म मुकदमा धारा L R Act धारा 136 मु०न० 18/2022 सन 25/5/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
25/5/2022	संस्था प्रधान राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुंटिया द्वारा आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खुंटिया में स्थित खा.नं. 583/1 रकबा 0.80 हे० भूमि राउप्रावि खुंटिया के नाम क्रीड़ा स्थल हेतु लीज पर दर्ज है। दिनांक 19.08.2021 को राउप्रावि खुंटिया से रा.मा.वि. खुंटियां में क्रमोन्नत हो गया है जिसे राउप्रावि खुंटिया के नाम की भूमि रा.मा.वि. खुंटिया के नाम दर्ज की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार रायपुर से कराने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का सत्यापन कर भूमि रा.मा.वि. के नाम दर्ज करने की अभिशंषा की है। मैने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड पटवारी एवं विद्यालय क्रमोन्नत आदेश का अवलोकन किया तो पाया कि राउप्रावि खुंटिया क्रमोन्नत होकर वर्तमान में रामावि के नाम संचालित है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक के बजाय राजस्व रिकॉर्ड में माध्यमिक विद्यालय के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।	(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... इस हुक्म ... तामिल ...
	अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुंटिया में स्थित रा.उ.प्रा.वि. खुंटिया के नाम दर्ज भूमि आराजी नं. 583/1 रकबा 0.80 है. भूमि रा.मा. विद्यालय खुंटिया के नाम पर दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 25/05/2022 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:50 IST
Reason: SelfAttested